मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2018 (फाल्गुन 23, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 एवं 19) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 160 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 176 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले के कन्नौद एवं खांतेगांव तहसील के शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन पर्याप्त मात्रा में न मिलने,

(2) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की बैतूल जिले के ग्राम चांदू में आदिवासी विकलांग कृषक की भूमि पर बिना सहमति के मिट्टी का खनन होने,

(3) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की मध्यप्रदेश के विद्यालयों व कार्यालयों में सफाईकर्मी की कमी होने,

(4) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले की हनुमना तहसील अहवा खुर्द में बिजली विभाग द्वारा मनमानी करने,

(5) श्रीमती शीला त्यागी,सदस्य की जिला रीवा के ग्राम रवैया के आदिवासियों के तालाब पर अतिक्रमण किये जाने,

(6) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में शौचालय का निर्माण का भुगतान हितग्राहियों को न होने,

(7) श्री तरूण भनोत, सदस्य की जबलपुर स्थित चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि पर अतिक्रमण होने,

(8) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र सुवासरा के ग्राम खजूरीमाण्डा में प्राथमिक विद्यालय जर्जर होने,

(9) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की तहसील मझौली में सहकारी समिति बंद होने तथा

(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की गाडरवाड़ा नगर में सड़क का क्षतिग्रस्त होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा कृषि पंपों के बिजली बिल समय पर नहीं दिये जाना

श्री कैलाश चावला, सदस्य ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, नीमच द्वारा कृषि पंप के सिंचाई के जो बिल अप्रैल माह में दिये जाना चाहिये, वह मार्च में दिये जा रहे हैं. जबकि 6 महीने में जो बिल देने चाहिये, वह नहीं दिये जा रहे हैं, बिल नियमानुसार दिये जाने चाहिये. बिल अदायगी न करने पर कनेक्शन काटने की धमकियां दी जा रही हैं. इससे कृषकों में असंतोष व्याप्त है.

(2) जिला चिकित्सालय और बुंदेलखण्ड मेडिकल कालेज की मर्जर की कार्यवाही समाप्त की जाना

श्री हर्ष यादव, सदस्य ने उल्लेख किया कि डेढ़ महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले के दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय और बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज का मर्जर समाप्त करने की घोषणा की थी, दुर्भाग्य की बात है कि डेढ़ महीना हो गया है, लेकिन आज तक मर्जर की कार्यवाही नहीं हुई है. मर्जर की घोषणा हुई थी तब जिले में उत्साह एवं खुशी का वातावरण था. अत: मर्जर की कार्यवाही की गयी थी, वह समाप्त की जाये.

(3) अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाना

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने उल्लेख किया कि मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि प्रदेश में अतिथि शिक्षक बहुत कम मानदेय पर अपनी सेवाएं प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय और अन्य स्थान पर दे रहे हैं. उनके संबंध में भी कोई नीति बनाकर गंभीरता से विचार किया जाए.

(4) सीधी, सिंगरौली एवं पथरिया जिले में विद्युत कटौती की जाना

(अ) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने उल्लेख किया कि सीधी, सिंगरौली जिले में कई जगह विद्युत काट दी गयी है. इस समय दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चल रही हैं और गरीबों को कुर्की के नोटिस जारी किये गये हैं. मैंने इस पर ध्यानाकर्षण की सूचना दी है. आप इसको संज्ञान में लें और इस पर चर्चा करायें और यह जो वसूली अभियान चला रहे हैं, कुर्की का आदेश दिया है, उस पर रोक लगायी जाये.

(ब) श्री लखन पटेल, सदस्य ने उल्लेख किया कि हमारे यहां विद्युत कनेक्शन काट दिए गए हैं. बच्चों की परीक्षा चल रही हैं और वहां पर बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं. ऐसे लोगों के बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, जिन्होंने बिजली के बिल भरे हुए हैं. कृपया अभी परीक्षा के समय वह बिजली तुरन्त चालू कराई जाये.

(5) चन्दला में पानी की व्यवस्था किया जाना

श्री आर.डी.प्रजापति, सदस्य ने उल्लेख किया कि मेरे क्षेत्र में तीन वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, हैंडपम्प बिल्कुल सूख गए हैं. नदियों में पानी कहीं भी नहीं है, पशु प्यास के कारण मर रहे हैं. आपसे अनुरोध है कि पानी की व्यवस्था करवाई जाये और वहां पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो जीव-जंतु और पशु-पक्षी पूरी तरह से मरने की स्थिति में हैं. बांधों में जो पानी है उसको छुड़वा दिया जाये, जिससे की जानवर न मर सकें.

(6) भोपाल में गीतांजलि कॉलेज की छात्रा द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ किये जाने पर आत्महत्या की जाना

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि कल स्थगन प्रस्ताव दिया है कि गीतांजलि कॉलेज की छात्रा आरती राय ने छेड़छाड़ के कारण आत्महत्या कर ली और इससे पूरा भोपाल शहर आंदोलित है. पूरे भोपाल शहर में आंदोलन चल रहा है. इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है. प्रदेश में महिलाएं एवं बालिकाएं असुरक्षित हैं, बालिकाएं कॉलेज और स्कूल जाने की हिम्मत नहीं कर रही हैं, प्रदेश के पालक और बालिकाओं के माता-पिता आंदोलित हैं. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि सरकार इसके प्रति गंभीर है. अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया कि – "आपकी बात आ गई है. इस पर आज निर्णय कर लेंगे."

4. बहिर्गमन

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन किया.

5. ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल नगर निगम द्वारा झील संरक्षण एवं साफ-सफाई के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) डॉ. योगेन्द्र निर्मल एवं श्री के.डी. देशमुख, सदस्यगण ने बालाघाट जिले में पंजीकृत मछुआरों को नीलामी से रोके जाने की ओर मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अंतर सिंह आर्य, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(2) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(3) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(4) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(5) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(7) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(8) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(9) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(10) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(11) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(12) श्री नथनशाह कवरेती (जिला-छिन्दवाड़ा)
(13) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(14) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(15) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(16) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(17) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़

7. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

(3) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री की मांगों पर दिनांक 13 मार्च, 2018 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान
(2) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(3) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(5) श्रीमती ऊषा चौधरी

8. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

9. वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(6) श्री कमलेश्वर पटेल
(7) श्री दुर्गालाल विजय
(8) श्री के.पी. सिंह
(9) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(10) कुंवर विक्रम सिंह
(11) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(12) डॉ. कैलाश जाटव
(13) श्री सुखेन्द्र सिंह
(14) श्री देवेन्द्र वर्मा
(15) श्री मधु भगत
(16) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(17) श्री प्रदीप अग्रवाल
(18) श्री अनिल फिरोजिया
(19) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(20) श्री नारायण सिंह पँवार
(21) श्री मंगल सिंग धुर्वे

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(4) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या – 10	वन के लिए दो हजार सात सौ छह करोड़, पांच लाख, चौदह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए दो सौ अस्सी करोड़, नब्बे लाख, छह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए पांच सौ छत्तीस करोड़, सतासी लाख, पैंतीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए बत्तीस करोड़, पांच लाख, नब्बे हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) कुंवर सौरभ सिंह

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) कुंवर विक्रम सिंह
(4) श्री बहादुर सिंह चौहान
(5) श्री बाला बच्चन

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(7) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(8) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(9) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(10) श्रीमती उषा चौधरी
(11) श्री रामपाल सिंह ब्यौहारी
(12) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(13) श्री सुखेन्द्र सिंह
(14) डॉ. कैलाश जाटव
(15) श्री शंकरलाल तिवारी
(16) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(17) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(18) श्री रजनीश हरवंश सिंह

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(19) श्री आर.डी. प्रजापति
(20) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
(21) श्री पन्नालाल शाक्य
(22) श्रीमती झूमा सोलंकी

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 7.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2018 (24 फाल्गुन, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 14 मार्च, 2018